अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
08.04.2025	पवन कुमार बनाम प्रेम देवी वगैरह (2025/168) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब करने हेतु पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही है। अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

8/4

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील संख्या – 168 /2025

श्री पवन कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—— अपीलार्थी

बनाम

1– श्रीमती प्रेम पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

2– जेठमल पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी– प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

3– श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील केकडी जिला अजमेर।

4– उप पंजीयक महोदय, कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

2025/168
3/4/25

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, बनाराजगी आदेश दिनांक 07–03–2025 न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 91/2023 उनवान पवन कुमार बनाम प्रेम वगैरहा में पारित आदेश के विरूद्ध अपील

महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि:–

1– यह कि अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकडी के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया तथा साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी

Scanned with CamScanner